राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत बरार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत बरार

प्रकरण सं. – 30/2012 रे0वा0

निर्णय दिनांक – 08.06.2015

अनवान

1. श्री भवरसिंह पुत्र किशनसिंह जाति रावत निवासी चौडा हामेला की वेर बरार तहसील भीम
2. श्री मदनसिंह पुत्र किशनसिंह जाति रावत निवासी चौडा हामेला की वेर बरार तहसील भीम

वादीगण

बनाम

1. श्री घीसासिंह पुत्र किशनसिंह जाति रावत निवासी चौडा हामेला की वेर बरार तहसील भीम
2. श्री नैनासिंह पुत्र खंगारसिंह जाति रावत निवासी चौडा हामेला की वेर बरार तहसील भीम
3. श्री गोपालसिंह पुत्र खंगारसिंह जाति रावत निवासी चौडा हामेला की वेर बरार तहसील भीम
4. श्री चैनसिंह पुत्र खंगारसिंह जाति रावत निवासी चौडा हामेला की वेर बरार तहसील भीम
5. श्रीमति अणछीदेवी बेवा खंगारसिह जाति रावत निवासी चौडा हामेला की वेर बरार तहसील भीम
6. श्री देवीसिंह पुत्र रामसिंह जाति रावत निवासी चौडा हामेला की वेर बरार तहसील भीम
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम

प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 आरटीए

ग्राम बरार के मौजा पदमेला पटवार हल्का बरार तहसील भीम जिला राजसमन्द में निम्न वर्णित आराजियात आई हुई हैः–

खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा			किस्म
		बीघा	विस्वा	विस्वांसी	
437	8353	00	15	00	बारानी 2
	8354	01	03	00	बारानी 2
	8355	01	13	00	बारानी 1
कुल किता 03 रकबा 03 बीघा 11 विस्वा					

उक्त वर्णित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार वादीगण भवरसिंह, मदनसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 है। घीसासिंह, नैनासिंह, चैनसिंह, गोपालसिंह, श्रीमति अणछीदेवी एवं देवीसिंह है। जिसमें वादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा तथा वादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का 1/2 हिस्सा है। खाता संख्या 27 के आराजी संख्या 8353, 8354 एवं 8355 में दर्ज खातेदार खंगारसिह पिता रामसिह की मृत्यु हो चुकी है जिसके उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 2 से 5 है जो कि आवश्यक पक्षकार होकर उन्हे पक्षकार मुकदमा बनाया है।

वादी संख्या 1 व 2 के भाई प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण से जबदस्ती अधिक जमीन लेने हेतु लडाई–झगडा किया तो वादीगण ने कई बार प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को उक्त आराजियात अपने अपने हिस्से अनुसार बंटवारा करने हेतु कहा मगर हमेशा प्रतिवादीगण टालम टोल करते रहे।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प बरार** मे पेश हुआ पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया वादी एवं प्रतिवादीगणो को आपसी समझाईश कर आपसी राजीनामें से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। वर्णित आराजियात में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को मौके पर हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जाकर मौके पर हिस्से अनुसार बंटवारा तरमीम किया जाकर पालना से अवगत कराना सुनिश्चित करे।

सहायक कलक्टर एवं
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

Scanned by CamScanner